रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 10, 2014/ज्येष्ठ 20, 1936
No. 173] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 10, 2014/JYAISTHA 20, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2014

फा.सं. 2-15015/30/2012.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ण) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2012, तारीख 12 अगस्त, 2013 द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 12 अगस्त, 2013 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का संशोधन करने के निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में, खाद्य कारबार के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति से संबंधित विनियम 2.1 में,-

(अ) खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति से संबंधित उपविनियम 2.1.2 के खंड (1) के पहले परंतुक में,-

(i) "अनुज्ञापन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करके" शब्दों के पश्चात् "इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से छत्तीस मास के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "इन विनियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) दूसरे परंतुक में, "अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इन विनिमयों के प्रारंभ की तारीख से छत्तीस मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि कठिनाई की दशा में अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और लोकहित को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कोई भी विनिर्दिष्ट शर्त लागू करने के औचित्य को अवधारित करेगा, किसी खाद्य कारबार प्रचालक द्वारा पूर्वोक्त उपबंधों के अननुपालन पर अधिनियम की धारा 55 के अधीन यथाउपबंधित शास्ति लागू होगी ।"

(आ) रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति की वैधता और नवीकरण से संबंधित उपविनियम 2.1.7 में,-

(i) खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु रजिस्ट्रीकरण की दशा में, देरी के प्रत्येक दिन के लिए 100 रु. प्रतिदिन की विलंब फीस लागू नहीं होगी ।"

(इ) विवरणी से संबंधित उपविनियम 2.1.13 में,-

(i) खंड (1) में "अनुज्ञप्तिधारी" शब्द के स्थान पर "विनिर्माता और आयातकर्ता, जिसे कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है," शब्द रखे जाएंगे ;

(ई) अनुसूची 2 में, वार्षिक विवरणी से संबंधित प्ररूप घ- 1 में,-

(i) क्रम सं. 2 में, "पुनः पैकिंग/पुनः लेबल लगाने" शब्दों के स्थान पर "आयातकर्ता" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) क्रम सं. 4 में,-

(क) "हथालन किया गया/" और "और निर्यातित" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) सारणी के शीर्षक में,-

(अ) स्तंभ (1) से संबंधित "हथालन किए गए/" और "निर्यातित" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(आ) स्तंभ (6) से संबंधित "/निर्यातित" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(इ) स्तंभ (7) से संबंधित "आयात करने वाले देश या पत्तन का नाम" शब्दों के स्थान पर "देश का नाम" शब्द रखे जाएंगे ।

डी. के. सामन्तराय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[सं. विज्ञापन–III / 4 / असा. / 191–एफ / 14]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक फा.सं.-2--15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 में प्रकाशित किए गए थे ।